ISSN 2277-5587
Indexed in ULRICH

Shodh Shree

(International Refereed Journal of Multidisciplinary Research)

शोध श्री

Volume-16 | Issue-3 | July-September 2015 | RNI No. RAJHIN/2011/40531

CHIEF EDITOR
Virendra Sharma

EDITOR
Dr. Ravindra Tailor

shodhshree@gmail.com
www.shodhshree.com

Scanned by CamScanner

Shodh Shree

(International Refereed Journal of Multidisciplinary Research)

Contents

Volume-16 Issue-3 July-September 2015

1. आधुनिकीकरण के आलोक में उपचार पद्धति एवं अनुसूचित जाति (नैनीताल जनपद के विकासखण्ड रामनगर के विशेष सन्दर्भ में) 1-7
डॉ. मनोहर चन्द्र जोशी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2. कृषि आधारित उद्योगों से रुग्णता:कारण एवं निदान 8-10
डॉ. प्रवीण ओझा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

3. प्रशासनिक परिवर्तन में समाचार पत्रों का योगदान (राजपूताना में रियासती प्रशासन और समाचार पत्र:सन् 1920 से 1947 तक का अध्ययन) 11-17
डॉ. विनोद कुमार केवलरामानी, जयपुर

4. विश्व स्तर पर भारतीय नारी 18-20
ज्योति नवल उदय, अजमेर

5. आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री प्रणीत 'काकली' में वर्णित विविध भाव 21-23
ऋतु दीक्षित, आगरा (उत्तर प्रदेश)

6. वर्तमान भारत में मानवाधिकार और महिलाओं की स्थिति 24-27
डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़, लाडनूं

7. राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानन्दजी का योगदान 28-30
नितेश जेफ, जयपुर

8. 'धुक्षते हा धरित्री' महाकाव्य में युग चेतना 31-33
आरती पुण्ढ़ीर, आगरा (उत्तर प्रदेश)

9. हिन्दू स्त्री और उत्तराधिकार विधि 34-38
डॉ. पंकज गौर, अजमेर

10. संस्कारों की आवश्यकता क्यों? 39-44
हिमा गुप्ता, कोटा

11. जल संसाधनों का प्रबंधन 'ग्वालियर जिले के विशेष संदर्भ में' 45-48
डॉ. (श्रीमती) वसुधा अग्रवाल, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

12. सरकारी तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता व शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन 49-50
डॉ. मीरा गुप्ता , ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

13. सम्बन्ध सुधरते नहीं, भारत-पाक के बीच सिर्फ बात ही बात 51-53
अनिल कुमार शर्मा, जयपुर

Scanned by CamScanner

वर्तमान भारत में मानवाधिकार और महिलाओं की स्थिति

डॉ. रविन्द्र सिंह राठौड़
सहायक आचार्य,जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

shodhshree@gmail.com

मानव जगत का प्राय: आधा भाग नारी जाति का है। संख्या के दृष्टिकोण से भी नारी जाति का महत्त्व स्पष्ट है। पुरुष और नारी दोनों ही मानवता के समान अधिकारी है। मानव समाज की सम्मुनति दोनों के ही समान सम्मान पर निर्भर करती आयी है। किसी भी युग में किसी समाज ने उत्कर्ष प्राप्ति में नारियों के सम्मान की अवहेलना का कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया और न असभ्यावस्था में ही नारियों की उपयोगिता किसी रुप में कम की जा सकती है। वेदों में पत्नी को पुरुष की अर्द्धांगिनी कहा गया है। यही कारण है कि पत्नी के बिना परुषों को अपूर्ण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता।[1] इसी धारणा के बल पर पुरुष को पत्नी की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार के यज्ञानुष्ठान कर्म का अधिकार प्राप्त नहीं था।[2] इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में एक ऐसी स्त्री संस्था का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत स्त्रियां अपनी समस्याओं, कर्त्तव्यों एवं अधिकारों पर विचार विमर्श किया करती थी।[3]

वैदिक युग में नारी को धार्मिक अधिकार के साथ-साथ सम्पत्ति का अधिकार भी था। इसके अतिरिक्त धर्मसुत्र में पुत्रोत्पत्ति को ही धर्म का आध्यात्मिक लक्ष्य मानकर स्त्री के लिए विवाह एवं पति की अधीनता को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बना देने से आलोच्य काल की नारी मानवीय अधिकारों से वंचित एवं पददलित दिखायी पड़ती है। एक पूर्णतया मातृसत्तात्मक समाज उस समाज को कहते हैं जहां महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो और उनके हाथ में सत्ता हो, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन, व्यापार सब कुछ पर उनका नियंत्रण भी रहे।[4] वैदिक युग में शुद्र महिलाओं को विशेष रुप से हिंसा झेलनी पड़ती थी और उनकी पवित्रता का सामाजिक सम्मान कम था। यह भेदभाव उस समय यातनाजनक हो गया जब मनु या बृहस्पति या याज्ञवल्क्य जैसे कानून बनाने वाले व्यक्तियों ने समाज में महिलाओं को पुरुषों से कम स्तर का दर्जा दिया।

संसार के सभी धर्मो की धुरी है मानवता, क्योंकि सभ्यता का अर्थ ही है एक दूसरे मानव की सहायता करना, यदि मानव ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अत: मानवतावाद का अर्थ ही मानव का कल्याण है। यह मानवता का बिन्दु सभ्यता के अंकुर के साथ ही प्रस्फुटित हुआ है। सामाजिक व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद में आता है। भारत में आदिकाल से स्त्रियों के सम्मान का भाव रहा है। ऋग्वेद के अनुसार प्रथम नारी में पृथ्वी को माना गया है।

'ब्स्येना प्रथिवि भवानिक्षरा निवेशिनी यच्छा न! शर्म सप्रथ:''

-ऋग्वेद सूक्त 22 (6) (15)

आज भी हिन्दूओं में प्रचलित सभी पूजाओं में सबसे पहले पृथ्वी के पूजन की परम्परा है।

डॉ. राम आहूजा ने भारत में महिलाओं के परम्परागत अधिकार की सैद्धान्तिक विवेचना करते हुए कहा है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित दो विचार सम्प्रदाय मिलते हैं। एक सम्प्रदाय के

 ISSN 2277-5587

Scanned by CamScanner

समर्थकों का कहना है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर थी। जबकि दूसरे सम्प्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि महिलाओं का न केवल अपमान ही होता था बल्कि उनके प्रति घृणा भी रखी जाती थी। दोनों ही सम्प्रदायों के समर्थकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण की पुष्टि में धार्मिक साहित्य से अनेक उदाहरण दिए हैं। आपस्त ने निर्दिष्ट किया था - ''जब महिला रास्ते में जा रही हो तो सभी उसे रास्ता दें।'' हम जिनको सम्मान करते हैं, उनके साथ यही व्यवहार करते हैं, अत: यह दर्शाता है कि महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। मनु ने कहा था - 'जहां महिलाओं की दुर्दशा होती है, वहां सम्पूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है, किन्तु जहां वे सुखी है, वहां परिवार सदैव समृद्धि को प्राप्त होता है।'' याज्ञवल्क्य ने कहा है- ''महिलाएं पृथ्वी पर समस्त दैवीय गुणों की प्रतीक है, सोम ने अपनी समस्त पवित्रता उन्हें प्रदान की है, गान्धर्व ने मृदु वाणी तथा अग्नि ने उन्हें अत्यंत आकर्षण बनाने के लिए अपनी चमक उन पर न्यौछावर कर दी है।'' महिलाओं के विषय में इतने ऊंचे आदर्श रामायण एवं महाभारत में स्थान-स्थान पर दोहराए गए हैं। महाभारत काल में महिलाएं न केवल गृहस्थ जीवन का केन्द्र थीं बल्कि समस्त सामाजिक संगठन की आधार बिन्दु थीं। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है।

सर्वोदय समाज निर्माण में स्त्री जाति का गौरवपूर्ण स्थान है। सर्वोदय के लिए उसे शारीरिक क्षमताओं के अभाव में हीन मानना स्वीकार्य नहीं है। नागरिकता के क्षेत्र में हम स्त्री पुरुष का भेद का निराकरण करना चाहते हैं। स्त्री को स्वयं भी इस समाज से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इसके लिए उसे अभयशील होना होगा तथा स्त्री पुरुष पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। जब तक स्त्री पुरुष रक्षित है, तब तक वह सुरक्षित भी नहीं है। उसे स्वरक्षित बनना चाहिए।[5] शारीरिक विभेद किसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के कार्य क्षेत्रों में तो अंतर ला सकते हैं किन्तु वह विषमता पैदा करने वाले बने, यह किसी को भी स्वीकार नहीं होना चाहिए।

महिलाओं की स्थिति पर महात्मा गांधी जी समाज में प्रचलित इस सामान्य घारणा से सहमत नही थे कि महिलाऐं आदमियों की तुलना में कमजोर है और इसलिए समाज में उन्हें नीचा दर्जा देना चाहिए। उनका कहना था कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा ही देना चाहिए क्योंकि वे बुद्धि बल में पुरुषों से किसी भी तरह कम नही होती और समाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सम्भालती है। महिलाओं के बगैर तो पुरुष का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। गांधीजी के शब्दों में ''महिलाऐं समान मानसिक शक्तियां रखते हुए पुरूषों की सहभागिनी बनती है। अत: उन्हें मानव समाज के जीवन में बराबर का अधिकार होना चाहिए और उन्हें भी पुरूषों के बराबर आजादी का उपभोग करने देना होगा।[6]

गांधीजी ने महिलाओं की स्थिति देखते हुए भविष्य में समाज में ही नही शासन में भी पुरुषों के बाराबर अधिकार दिलाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि स्त्रियों को मताधिकार के साथ-साथ राजनीति में भी पुरुषों के बराबर भाग लेना होगा। स्वराज्य अथवा राष्ट्र के उत्थान के लिए गांधीजी उन कानूनों को भंग करना चाहते थे जो स्त्रियों को बराबर का दर्जा देने के पक्ष में न थे।

वर्तमान काल में जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तभी से महिला और मानवाधिकार की सोच प्रारम्भ हो गई थी। प्रकृति ने स्त्री को स्वाभाविक कोमलता प्रदान की है और पुरुषों को बल। इसी कारण स्त्रियों की सारे संसार में स्थिति पुरुषों के पश्चात् मानी जाती है। इसलिए कमजोर वर्ग के कारण इनके अधिकारों के बारे में चर्चा एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय है। 1992 तक यह बात मान ली गई कि लिंग के आधार पर होने वाले भेद-भाव में ''हिंसा सम्मिलित है जो कि महिला के विरूद्ध इसलिए की जाती है या जो उसे अनुचित-अनुपात में प्रभावित करती है।'' इस तथ्य को समझने पर संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने 20 दिसम्बर, 1993 को ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विलोपन की घोषणा'' को अंगीकार किया।[7]

वियना में 1993 में मानव अधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें 177 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने महिलाओं के अधिकारों के अनुपालन, प्रोत्साहन एवं रक्षा के लिए चल रहे, अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा दी। वियना घोषणा एवं कार्य-योजना ने आग्रह किया कि सरकारें एवं संयुक्त राष्ट्र यह सुनिश्चित करें कि समस्त मानव अधिकार, समान रुप से महिलाओं को भी प्राप्त हो।

डॉ. राम आहूजा ने महिलाओं के अधिकार चेतना की विशद विवेचना की है। उनके अनुसार यद्यपि भारत में महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है तथापि क्या हमारे देश की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना है? अधिकार चेतना में प्रमुख बाधाएं अशिक्षा, गृहकार्य में अधिक व्यस्तता, घरेलू बंधन तथा पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता आदि है।[8] अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से स्त्रियों को शिक्षा देना अनिवार्य नहीं समझा गया। यह माना जाने लगा कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करानी है। अत:उन्हें शिक्षा दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं रह सकी और वे अन्धविश्वासों, कुसंस्कारों और रुढ़ियों में इस प्रकार जकड़ ली गई कि उनमें चेतना नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह गई।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने के उक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद महिलायें भारत में सामान्य रुप से न सिर्फ हिंसा का शिकार बनी हुई हैं वरन् असमानता की भी। महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज-मृत्यु, अपहरण तथा यौन पीड़न जैसे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्य जो भी हो यह स्पष्ट है कि भारत में महिलायें सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के बुनियादी मानव-अधिकारों को प्रोत्साहन देने व उनकी रक्षा करने के मामले में हमें बहुत कुछ करना है।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन् 1992 में एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था के रुप में की गई। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना उनके कल्याणार्थ कानून बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करना, उनकी कठिनाइयों के निराकरण में सहायता देना और महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के नीति निर्धारण में सरकार को सलाह देना, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इसी के साथ 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रुप में मनाये जाने की भी घोषणा हो गई। यह संस्था प्रत्येक महिला को न्याय सुलभ कराने के लिए वचनबद्ध है। महिला आयोग द्वारा समय-समय पर दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर महिला की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम किये जा रहे हैं। 8 मार्च 2011 को इण्डिया विमेन फांउडेशन व विमेन पावर कनेक्ट द्वारा कार्यक्रमों की नई पहल की गई।

मानवाधिकार घोषणा-पत्र 1948 में दिये गये अधिकार

1. जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार
2. कानून के समक्ष समानता का अधिकार
3. आवागमन और निवास की स्वतंत्रता
4. अत्याचार और शोषण के खिलाफ विरोध करने की स्वतंत्रता
5. विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
6. धार्मिक स्वतंत्रता
7. मत डालने का अधिकार
8. शिक्षा का अधिकार
9. कार्य करने का, मजदूर संगठन बनाने का और उसमें भागीदारी
10. स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार
11. सांस्कृतिक भागीदारी का पूर्ण अधिकार।

इन सब अधिकारों के अलावा कुछ अधिकार केवल महिलाओं को ही प्राप्त हैं-

- कामकाजी महिलाओं के अधिकार/कानून जिसमें सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए व एक ही तरह के या मिलते जुलते काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948- वेतन की न्यूनतम दर, आयु, काम के घंटे, दिन और महीनों के हिसाब से निश्चित की जाती है।
- फैक्टरी अधिनियम 1948, फैक्ट्री में समुचित सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें शौचालय, 30 से ज्यादा महिलाएं काम करें वहां झूलाघर होना चाहिए, एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करवाना, काम सुबह 6 से शाम 8 बजे तक। ओवर टाइम नहीं व सप्ताह में एक दिन का अवकाश।
- प्रसूति अवकाश अधिनियम 1961
- कामकाजी महिलाओं को प्रसूति से पूर्व व पश्चात् अवकाश का प्रावधान व हल्का कार्य करवाना। अवकाश का पूर्ण वेतन।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण निवारण अधिनियम-2010
- कामगार दुर्घटना मुआवजा (कामगार प्रतिकार अधिनियम-1923)
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (1971)। इसमें गर्भपात करवाना अपराध है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955- इसमें लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विशेष विवाह अधिनियम-1954- पत्नी को खर्च पाने का अधिकार है। विधवा बहू के खर्च पाने का अधिकार, स्त्रियों को सम्पत्ति का अधिकार, थाने के अधिकार व गिरफ्तारी के अधिकारी, पूछताछ के दौरान अधिकार, तलाशी के समय अधिकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय अधिकार।
- महिला अत्याचार निवारण अधिनियम (2011 बजट घोषणा, राजस्थान, 9 मार्च)

राष्ट्रीय महिला आयोग की अगली पहल देश में लड़कियों का पीछा करना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता में पृथक धारा जोड़कर सात साल तक की सजा के प्रावधान की बात कही गई। फिलहाल लड़कियों का पीछा कर उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ स्पष्ट कानून के अभाव में अपराधी बच निकलते है। स्कूल, कॉलेजों व कार्यालयों में आने-जाने वाली लड़कियों व महिलाओं को सुरक्षा के लिहाज से प्रस्ताव को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। महिला आयोग ने प्रस्तावित यौन उत्पीड़न विधेयक में संशोधन कर नया विधेयक हाल ही में सरकार को भेजा है। आयोग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र के पास यौन उत्पीड़न विधेयक पहले ही भेज रखा है। विधेयक को धारदार बनाने के लिए इसमें संशोधन कर नया विधेयक गृह-मंत्रालय को भेजा है। इसमें आईपीसी की धारा 509 (बी) के तहत महिलाओं पर हमला, उन्हें शारीरिक या

ISSN 2277-5587

Scanned by CamScanner

मानसिक क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से उनका पीछा करने वालों के लिए सात वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान प्रस्तावित है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का पीछा कर एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद महिला आयोग ने दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों में जन-सुनवाई की थी। तब उसे लड़कियों का पीछा कर उन्हें नुकसान पहुँचाने या ऐसी चेष्टा करने वालों के खिलाफ ठोस कानूनी कारवाई की जरुरत महसूस हुई। इसे देखते हुए प्रस्तावित विधेयक में संशोधन कर गृह-मंत्रालय को भिजवाया गया।[9]

महिला विकास की प्रमुख योजनाएं

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला विकास परियोजनाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, महिला सशक्तिकरण हतु राष्ट्रीय नीति। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण आदि।

2 अक्टूबर, 1975 को समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें बाल विकास की सर्वांगीण रुपरेखा बनाकर महिलाओं एवं बच्चों को लाभान्वित करने का कार्यक्रम लागू किया गया। यद्यपि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखी जा चुकी थी परन्तु आठवीं व नवीं पंचवर्षीय योजना में इसे अत्यन्त बल मिला एवं अनेक परियोजनाएं प्रारम्भ हुई। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में उन्हें पंचायत व नगर पंचायतों में आरक्षण मिला।[10]

निष्कर्षत: यद्यपि महिलाओं को मानव समझ कर मानवाधिकार दिलाने की चेष्टा जारी है किन्तु जब तक महिलाएं स्वत: अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होती तब तक बाहरी चेष्टाएं कारगर नहीं हो सकती। भारत में रहने वाले चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, वे सामाजिक व्यवहारों में भारतीय ही हैं। मनु के काल में स्त्रियों के प्रति हीन भावना का जो बीज बो दिया गया, वह आज भी भारत के जन के रक्त में है। एक ओर तो कहा जाता है कि नारी शक्ति है, देवी है ''यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता:'' और दूसरी ओर अनेक ऋषियों ने कहा है कि पिता बालकपन में, पति युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था में स्त्रियों की रक्षा करता है, नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। अत: आज नारी को अपने सम्बोधन में अबला से 'अ' के स्थान पर 'स' लगाकर सबला बनाना है।

आज 21वीं सदी में भी संसार में नारी की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं क्योंकि आज भी भारत की महिलाओं की सरकार में भागीदारी पाकिस्तान के बाद आती है, यह ताजा सर्वे है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो सरकारें ही मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं। सत्य तो यह है कि विश्व का कोई भी देश या मानव समाज अभी तक मानवाधिकारों के पूर्ण रुप से क्रियान्वयन व उपभोग का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

इसलिए सम्पूर्ण विश्व में ऐसी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिनमें मानव अधिकारों के उपभोग और उनकी वैधानिक मान्यता स्वीकृत हो और उनकी सुरक्षा हो। इसके बिना मानव अधिकारों की सभी घोषणाएं केवल कागजी घोषणाएं होकर रह जायेगी। वे कभी भी साकार रुप धारण नहीं कर पायेंगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 *शतपथ ब्राह्मण, पृ./5.2 1.10*

2 *डॉ. लता सिंहल, भारतीय संस्कृति में नारी, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ. 4,*

3 *कल्चरल फोरम, जनवरी 1964, पृ. 123*

4 *प्रेम नारायण शर्मा, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ. 246*

5 *डॉ. वीरेन्द्र शर्मा, भारत के पुनर्निर्माण में गांधी जी का योगदान, श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. 279*

6 *रश्मि पाठक, भारतीय राजनीतिक विचारक, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, पृ.119*

7 *सुधा रानी श्रीवास्तव, भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 283*

8 *गुप्ता कमलेश कुमार, भारतीय महिलाएं शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर, पृ. 91-93*

9 *राजस्थान पत्रिका, 22 अप्रैल 2011, संस्करण - सीकर।*

10 *महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, प्रेम नारायण शर्मा, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ. 29*

Scanned by CamScanner